राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :— 580/2025

सपना भट्ट

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्री जवाहिर चिकित्सालय जैसलमेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.03.2025

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेंद्र कुमार, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का चयन नर्सिंग अधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद पर नर्सिंग भर्ती 2023 में चयन होने पर अपीलार्थी से पदस्थापन करने हेतु विकल्प पत्र भरवाया गया जिसके तहत् अपीलार्थी ने उदयपुर में 25 जगह नर्सिंग अधिकारी ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद पर अपना विकल्प भरा। इसके बावजूद अपीलार्थी को 700 किमी दूर श्री

जवाहिर चिकित्सालय जैसलमेर में पदस्थापित आदेश जारी कर दिए गए (अनुलग्नक–1)। प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 23.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यग्रहण आदेश जारी किए जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी का आगे कथन है कि अपीलार्थी के वृद्ध सास–ससुर है तथा ससुर ह्रदय रोग से ग्रसित है (अनुलग्नक–4) उनकी हार्ट सर्जरी करवायी गयी है, जिसकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा की जाती है। अपीलार्थी का पति मुम्बई में कार्यरत है। अपीलार्थी के दो छोटे बच्चे बांसवाडा में अध्ययनरत है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी ने श्री जवाहिर जिला चिकित्सालय जैसलमेर से महाराणा भोपाल जनरल अस्पताल उदयपुर संशोधित आदेश जारी करने के लिए दिनांक 04.03.2025 (अनुलग्नक–6) को संशोधन करवाने का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परन्तु उक्त अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया।

3. अपीलार्थी का आगे कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के SB Civil Writ Petition No. 14044/2024 दूरी और उसी स्थान पर ANM का पद रिक्त होने पर स्थगन आदेश पारित किया (अनुलग्नक–7)। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान जयपुर ने अपील संख्या 3956 / 2024 निर्णय दिनांक 20.12.2024 में विकल्प पत्र में भरे पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित करने का आदेश फरमाया गया है जो न्याय निर्णय अपीलार्थी की अपील पर लागू होता है (अनुलग्नक–9)।

4. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाये जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.03.2025 (अनुलग्नक–6) को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन का निस्तारित किया जाकर प्रथम प्राथमिकता जिला बांसवाडा में टीएसपी नर्सिंग अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं द्वितीय प्राथमिकता जिला उदयपुर में नर्सिंग अधिकारी ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद पर संशोधित पदस्थापन आदेश जारी करने आदेश फरमाया जावे।

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

6. प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है

कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य